(130)

निग - 918 - II / 16

न्यायालय राजस्व मण्डल,

मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक - /2016 निगरानी

ओम प्रकाश

पुत्र श्री व्दारका प्रसाद,

निवासी ग्राम जिगना,

तहसील व जिला दतिया ---- आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर

जिला कलेक्टर मध्य प्रदेश ---- अनावेदक

(अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्र0क0 9/ 2012-13 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 9-1-2013 के विरूद्ध निगरानी - अंतर्गत धारा 50 , म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959)

कृ0पृ0उ0----

Xxxix(a)-BR(H)-11 राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

निगरानी प्रकरण क्रमांक 918—दो/2016 जिला दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों के हस्ताक्षर
16-2-16	यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण क्रमांक 9/2012—13 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 09—01—2013 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 सहपठित राजस्व पुस्तक परिपत्र चार—3 की कंडिका 30 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि नायव तहसीलदार वृत्त उदगवॉ तहसील दतिया ने प्रकरण क्रमांक 45 अ — 19/ 2003—04 में पारित आदेश दिनांक 30—8—2004 से आवेदक के हित में ग्राम जिगना की भूमि सर्वे क्रमांक 6 रकबा 0.60 हैक्टर एंव सर्वे क्रमांक 7 रकबा 0.60 हैक्टर का व्यवस्थापन किया। नायव तहसीलदार के प्रकरण के परीक्षण उपरांत व्दारा व्यवस्थापन कार्यवाही में अनियमिततायें होने के आधार पर कलेक्टर दतिया ने आवेदक के विरूद्व प्रकरण क्रमांक 95/2006—07 स्वमेव निगरानी पंजीबद्व किया एंव आदेश दिनांक 24—2—2007 पारित करके नायव तहसीलदार का आदेश दिनांक 30—8—2004 निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व आवेदक ने अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष निगरानी क्रमांक 9/2012—13 दर्ज की, जिसमें पारित आदेश दिनांक 09—01—2013 से निगरानी निरस्त की गई । इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक एंव शासन के पैनल लायर के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। 4/ शासन के पैनल लायर ने आपत्ति की कि राजस्व पुस्तक परिपत्र चार—3 के अंतर्गत सुनवाई के अधिकार राजस्व मण्डल को नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्व निगरानी	

विलम्ब से प्रस्तुत हुई है इसलिये प्रचलन योग्य नहीं है। उन्होंने कलेक्टर दतिया एंव अपर आयुक्त के आदेश सही होना बताते हुये निगरानी निरस्त करने की मांग की।

5/ विचार योग्य है कि क्या राजस्व मण्डल को राजस्व पुस्तक परिपत्र के अंतर्गत अपील/निगरानी सुनने के अधिकार है अथवा नहीं ? मान0 उच्च न्यायालय व्दारा बानमोर सीमेंट वर्क्स लिमि0 (मेस.) मुरैना विरूद्व म0प्र0राज्य 2012 रा0नि0 385 में व्यवस्था दी है कि:–

" Maintainability of appeal – order passed by Revenue Officer under provision of M.P.Revenue Book Circulars – appeal against such order is maintainable before Board Of Revenue.

अतः राजस्व पुस्तक परिपत्र के अंतर्गत विचारित कार्यवाहियों में आयुक्त/अपर आयुक्त व्दारा पारित आदेशों के विरूद्व अपील/निगरानी सुनने की अधिकारिता राजस्व मण्डल को है, जिसके कारण पैनल लायर का तर्क माने जाने योग्य नहीं है।

6/ यह सही है कि अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के आदेश दिनांक 09–01–2013 के विरूद्व न्यायालय में निगरानी वर्ष 2016 में प्रस्तुत हुई है परन्तु आवेदक की ओर से अवधि विधान की धारा–5 का आवेदन देकर बताया गया है कि अपर आयुक्त न्यायालय में नियुक्त अभिभाषक ने उसे अपर आयुक्त के आदेश की जानकारी नहीं दी, जब वह विवाद समारोह में 12–3–16 को ग्वालियर आया एंव अभिभाषक से संपर्क किया तब अभिभाषक ने पूरी फीस मांगी और कहा कि तभी कुछ बतायेंग। उसके वाद आवेदक ने अपर आयुक्त के रीडर से संपर्क किया तब उन्होंने बताया कि प्रकरण में 9–1–13 को आदेश हो चुका है तब दूसरे वकील से संपर्क करके नकल प्राप्त कर निगरानी की गई है। बशीर बी बनाम अब्दुल वहाव 1983 ज0लॉ0ज0 (शा0नो0 57) का न्यायिक दृष्टांत है कि अभिभाषक की त्रृटि के लिये पक्षकार को दण्डित नहीं करना चाहिये एंव न्याय हेतु मामला गुणागुण पर विनिश्चत करना चाहिए।

Xxxix(a)-BR(H)-11 राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

निगरानी प्रकरण कमांक 918—दो/2016 जिला दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों के हस्ताक्षर

अतएव आवेदक व्दारा अवधि विधान की धारा—5 में दिया गया विवरण समाधानकारक होने से विलम्ब क्षमा किये जाने योग्य है।

7/ कलेक्टर दतिया के प्रकरण कमांक 95/2006—07 स्वमेव में पारित आदेश दिनांक 24—2—2007 के अवलोकन पर पाया गया कि उन्होंने नायव तहसीलदार वृत्त उदगवॉ तहसील दतिया के आदेश दिनांक 30—8—2004 के विरूद्व वर्ष 2006—07 में स्वमेव निगरानी दर्ज की है । आवेदक के अभिभाषक ने बताया है कि आवेदक ने पटटा प्राप्ति उपरांत पटटे की भूमि पर काफी धन खर्च करके बंधान बनाये है एंव रेतेली भूमि को उपजाउ बनाने के लिये कई ट्राली गोवर खरीदकर खाद डलवाया है एंव अधिक पैदार लेने के लिये सिंचाई का साधन कर लिया है जिसमें काफी धन व्यय किया है । यदि आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर मानवीय दृष्टिकोणा से विचार किया जाय '—

1. इन्दर सिंह तथा अन्य विरूद्व म0प्र0शासन 2009 रा.नि. 251 का न्यायिक दृष्टांत है कि भूमि का आवंटन किया गया — सरकारी भूमि घोषित नहीं की जा सकती, क्योंकि सरकारी पदाधिकारियों व्दारा गलतियां की गई — प्रशासनिक अधिकारियों व्दारा की गई प्रकियात्मक त्रृटि के कारण भूमिहीन बंटिति को भूमि के आवंटन के लाभ से बंचित नहीं किया जा सकता।

2. शॅकरलाल वर्मा विरूद्व म0प्र0राज्य 1984 रा0नि0 128 का न्यायिक दृष्टांत है जब तक कि समुचित क्षति सिद्व नहीं की जाती है, पटटेदार व्दारा भूमि को सुधारने और कुऑ निर्माण करने में अत्यधिक राशि व्यय की गई। सामान्यतः ऐसे आबन्टन को रद्द किया जाना तर्कसंगत नहीं है।

उक्त स्थिति में आवेदक के हित में किया गया भूमि व्वस्थापन निरस्त

Xxxix(a)-BR(H)-11 राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

निगरानी प्रकरण क्रमांक 918–दो / 2016 जिला दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों के हस्ताक्षर
	किये जाने योग्य नहीं है परन्तु कलेक्टर दतिया व्दारा आदेश दिनांक 24–2–2007 पारित करते समय उक्त पर ध्यान न देने में भूल की है। 8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण क्रमांक 9/2012–13 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 09–01–2013 एंव कलेक्टर दतिया व्दारा प्रकरण क्रमांक 95/2006–07 स्वमेव में पारित आदेश दिनांक 24–2–2007 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं एंव नायव तहसीलदार वृत्त उदगवॉ तहसील दतिया व्दारा प्रकरण क्रमांक 45 अ – 19/ 2003–04 में पारित आदेश दिनांक 30–8–2004 स्थिर रखते हुये ग्राम जिगना की भूमि सर्वे क्रमांक 6 रकबा 0.60 हैक्टर एंव सर्वे क्रमांक 7 रकबा 0.60 हैक्टर पर आवेदक का नाम पूर्ववत् दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। सदस्य	